अपील सूचना अधिकार संख्या 25/2019 (RCMS 2019/00078) श्री राजकुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद, निवासीं वार्ड नम्बर 03 डबली वास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़ बनाम लोकसूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

09.05.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राजकुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुए। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि **अपीलार्थी श्री राजकुमार ने** लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.2019 को प्रस्तुत करके तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण, उसने यह अपील इस न्यायालय में पेश कर प्रार्थना की है कि उसे वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी श्री राजकुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.01.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ से निम्न सूचना चाही थी:

1. मूल आदेश राको रोड़ा/2018/3671 दिनांक 20.12.2018 की प्रमाणित प्रति।
2. राको रोड़ा/2018/3680 दिनांक 20.12.2018 संशोधित आदेश की प्रमाणित प्रति।
3. आदेश क्र. स्थापना/17/1956 दिनांक 01.09.2017 की प्रमाणित प्रति।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ ने अपने पत्रांक आरटीआई/19/156 दिनांक 28.01.2019 से श्री राजकुमार को निम्नानुसार जवाब दिया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

> उपरोत विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 08.01.2019 जो इस कार्यालय को दिनांक 18.01.2019 को प्राप्त हुआ है। आप द्वारा वांछित सूचना हेतु कुल 05 पृष्ठ हेतु प्रति पृष्ठ 2/— रूपये की दर शुल्क जमा करवाए ताकि आपको नियमानुसार सूचना के अधिकार के अन्तर्गत वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।
>
> -sd-
> उप जिला कलक्टर
> अनूपगढ

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ ने अपने पत्रांक आरटीआई/19/549 दिनांक 29.03.2019 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है :

> उपरोत विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री राजकुमार द्वारा प्रस्तुत अपील का बिन्दुवार प्रत्युत्तर निम्नानुसार प्रस्तुत है।
>
> अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 08.01.2019 से वांछित सूचना/दस्तावेज हेतु अपीलार्थी को कार्यालय के पत्र क्रमांक आरटीआई/19/156 दिनांक 28.01.2019 द्वारा 5 पृष्ठ हेतु प्रति पृष्ठ 2/— रूपये की दर से शुल्क जमा करवाने हेतु लिखा गया था(प्रति संलग्न) आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत वांछित दस्तावेज का शुल्क जमा नहीं करवाया गया है। उपरोक्तानुसार अपीलार्थी/प्रार्थी को सूचना के अधिकार के अन्तर्गत देय सूचनाओं को शुल्क जमा करवाने हेतु पूर्व में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी खाजिर फरमावें।
>
> -sd-
> उप जिला कलक्टर
> अनूपगढ

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि प्रार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ द्वारा आने पत्र क्रमांक 156 दिनांक 28.01.2019 से निर्धारित अवधि में ही सूचित किया जा चुका है कि वांछित सूचनाओं के सम्बन्ध में नियमानुसार 2/— प्रति पेज के हिसाब से 5 पृष्ठ की सूचनाओं के लिए शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकता है। अतः प्रार्थी को निर्धारित शुल्क जमा करवाकर वांछित सूचनाएं प्राप्त करनी चाहिए।

अतः उक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है और लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को आदेशित किया जाता है कि व अपीलार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाने पर उसे शीघ्र वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को निर्णय की प्रति सूचनार्थ रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर